

पत्र सं०- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)12/2014- 280 (आवंटन) /भू०सं० पटना, दिनांक 30-03-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह (बि.प्र.से.)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (शष्प),
भूमि संरक्षण, मुख्यालय,
बिहार, पटना।

विषय : राज्य योजना अन्तर्गत मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 2014-15 हेतु कुल 2697.313 लाख (छब्बीस करोड संतानवे लाख एकतीस हजार तीन सौ रुपये) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन राज्यादेश संख्या 1659 दिनांक 29.03.2015 द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु स्वीकृत राशि 13.35 लाख (तेरह लाख पैतीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि 13.35 लाख रुपये (तेरह लाख पैतीस हजार) मात्र आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन कृषि विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 1659 दिनांक 29.03.2015 के क्रम में दिया जा रहा है। स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाए।

3 आवंटित राशि 13.35 लाख रुपये (तेरह लाख पैतीस हजार) की निकासी बजट शीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए घटक योजना, उपशीर्ष- 0101 भूमि संरक्षण कार्य, विपत्र कोड- पी2402007890101, मॉग संख्या- 1, राज्य योजना स्कीम कोड- ए0जी0आर0-5038, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि 454.40 लाख रु० से की जायेगी।

4. राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के अनुसार की जायेगी। आवंटित राशि बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में दी जायेगी। बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा इस राशि को पत्र के साथ संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार सम्बंधित जिला के सहायक निदेशक (शष्प) भूमि संरक्षण को उपआवंटित किया जायेगा।

6. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक -2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दी जा रही है।

7. आवंटन से अधिक राशि की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाए। इसके निमित्त सम्बंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

8. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी०भी० नम्बर के साथ व्यय विवरणी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन



(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

29/03/15

29/03/15

CA. 2

ज्ञापांक : 280(आवंटन) भूमि संरक्षण पटना दिनांक 30-03-2015

प्रति :- 1. महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 280(आवंटन) भूमि संरक्षण पटना दिनांक 30-03-2015

प्रति :- 1. विकास आयुक्त बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि, बिहार के आप्त सचिव/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लघु सिचाई विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिलाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार पटना/निदेशक उधान, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, BWDS/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभि.) भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा भूमि संरक्षण निदेशालय, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. उप कृषि निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई.टी. मैनेजर कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना

29/3/15

29/3/2015

श्री विपि नंदा अभियंता - 2013